कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।
पत्रांक– 932/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–20/09/2017.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– ओबरा एवं रेनुकूट वन प्रभाग की में0 रिलाइन्स जियो इन्फोकाम लि0 की ओ0एफ0सी0 केबिल वन भूमि में भूमिगत ओ0एफ0सी0 बिछाने हेतु समेकित प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– में0 रिलाइंस जियो इन्फोकाम लि0 का पत्र संख्या–RJIL/OFC/NLD /WEST/ UP/OBRA /INTERCITY/EAST/UP/OBRA/FOREST/12-1 DAte 29.04.2017, इस कार्यालय का पत्रांक–3947/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–31.05.2017, मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के कार्यालय का पत्रांक–548/मी0/33 दिनांक–04.08.2017, पत्रांक–717 /मी0/15 भू0ह0 दिनांक–14.08.2017, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–409/11–सी दिनांक–11.08.2017 तथा आपका पृष्ठांकन संख्या–717/मी0/33 दिनांक–14.08.2017.

महोदय,

अवगत कराना है कि में0 रिलाइंस जियो इन्फोकाम लि0 ने अपने कार्यालय का पत्र संख्या–RJIL/OFC/NLD /WEST/ UP/OBRA/INTERCITY/EAST/UP/OBRA/FOREST/12-1 DAte 29.04.2017 द्वारा डाला रेंज के अन्तर्गत वाराणसी शक्तिनगर मार्ग(एस0एस0–5ए) के किमी0 संख्या 87 से 115 कुल 28किमी0 तथा चौड़ाई 0.10मीटर, क्षेत्रफल 0.2901हे0 वन भूमि में भूमिगत आप्टिकल फाईबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ OTHERS/ 24318/2017 Dated 14.02.2017 आन लाईन आवेदन करते हुए, प्रस्ताव की हार्ड कापी चार प्रतियों में प्राप्त कराया गया था। जिसके क्रम में उक्त प्रस्ताव चार प्रतियों में तैयार कर इस कार्यालय का पत्रांक–3947/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–31.05.2017 द्वारा आपको प्रेषित किया गया। जिसे आप द्वारा आपने कार्यालय का पत्रांक–548/मी0/33 दिनांक–04.08.2017 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित किया गया। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर–प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक–409/11–सी दिनांक–11.08.2017 द्वारा प्रस्ताव के ऑनलाइन एवं हार्डकॉपी में कमियां दर्शायी गयी हैं। आपत्ति का निराकरण करने हेतु इस कार्यालय का पत्रांक–476/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–14.08.2017 द्वारा याचक विभाग से अनुरोध किया गया। याचक विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या–आर0जे0आई0एल0/ओ0एफ0सी/एन0एल0डी0/वेस्ट/यू0पी0/रेनुकूट/फारेस्ट/10बी दिनांक 07.09.2017 द्वारा आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रस्ताव की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध करायी गयी है। उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की 02 प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क0 सं0	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा लगायी गयी आपत्तियां	निराकरण
1	याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रयोक्ता अभिकरण का नाम व दिनांक अंकित नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र में प्रयोक्ता अभिकरण का नाम व दिनांक अंकित कर दिया गया है।

2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारुप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है किन्तु प्रस्तावित वन भूमि की कानूनी स्थिति स्पष्ट अंकित नहीं की गयी है।	इस बिन्दु के अनुपालन में वन भूमि की कानूनी स्थिति संरक्षित वन अंकित कर दिया गया है।
3	प्रस्तावित वन भूमि का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Refferenced Digital map किन्तु के0एम0एल0 फाईल शेप की सी0डी0 संलग्न नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में Geo Refferenced Digital map की के0एम0एल0 फाईल शेप की सी0डी0 संलग्न है।
4	वनाधिकारी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है जो स्वीकार्य नहीं है। अतः मूल प्रमाण पत्र संलग्न कर आन लाईन अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में वनाधिकारी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
5	गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित व चिन्हित छायाप्रति संलग्न नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में संरक्षित वन का गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न है।
6	आन लाईन भाग 2 Additional Infornation Details में कोई प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है, अतः सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में आन लाईन भाग 2 Additional Infornation Details में आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।
7	आन लाईन पार्ट–1 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में आन लाईन पार्ट–1 प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
8	दोनो वन प्रभाग का आन लाईन प्रस्ताव अलग–अलग अपलोड किया गया है, जिसे आपस में समेकित कर प्रस्तुत किया जाना उचित नहीं है। अतः ओबरा वन प्रभाग का प्रस्ताव अलग प्रस्तुत कर कमवार पृष्ठ संख्या अंकित करते हुए संशोधित विषय सूची संलग्न करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में ओबरा वन प्रभाग से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव अलग से प्रेषित किया गया है। जिसमें विषय सूची संलग्न है।
9	दोनो वन प्रभागों का मुख्य वन संरक्षक की संस्तुति सहित भाग–3 अलग–अलग संलग्न करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभाग स्तर से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अमर बहादुर)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

संख्या   अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि– प्रबन्धक रिलायन्स जियो इन्फोकाम लि0, राहतास 'के' टेरिडेन्ट सेकेण्ड फ्लोर, 10 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को उनके पत्र संख्या आर0जे0आई0एल0/ओ0एफ0सी/एन0एल0डी0/वेस्ट/यू0पी0/रेनुकूट/फारेस्ट/10बी दिनांक 07.09.2017 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अमर बहादुर)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।